1. **संजीव खन्ना होंगे अगले मुख्य न्यायधीश**

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को अगला मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया है। वर्तमान के मुख्य न्यायधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को खत्म हो रहा है, और यह नियुक्ति 11 नवंबर से प्रभाव में आएगी। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने ही राजीव खन्ना के नाम अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नामित किया था।

केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए कहा, 'भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति भारत के माननीय मुख्य न्यायधीश के परामर्श के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर, 2024 से भारत का मुख्य न्यायधीश नियुक्त करती हैं।'

न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक लगभग सात महीने का होगा।

1. **महाराष्ट्र चुनाव: CSDS सर्वे में आगे निकली महाविकास अघाड़ी, BJP की टेंशन बढ़ी**

महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र का चुनाव महायुति के जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा है। CSDS के एक सर्वे ने BJP आलाकमान की होश उड़ा दी है। CSDS की इस सर्वे में जो सबसे अहम बात सामने आई है, वह आर्थिक स्थिरता और नौकरी के अवसरों के बारे में बढ़ते मतदाता असंतोष को दर्शाती है। माना जा रहा है कि ये मुद्दे चुनावी चर्चा में हावी रह सकते हैं। CSDS की ये रिपोर्ट देख कर BJP आलाकमान सदमे में है। CSDS की इस रिपोर्ट में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र चुनाव में महायुति से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। CSDS के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोहरा सकता है।

CSDS लोकनीति के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र चुनाव में महंगाई और बेरो़गारी दो बड़े मुद्दे हैं। The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में 24% मतदाताओं ने बेरो़गारी को अपना प्राथमिक मुद्दा बताया है, जबकि 22% ने महंगाई को बड़ा मुद्दा माना है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में पता चला है कि विकास की कमी को 9%, कृषि संबंधी मुद्दे को 8% और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को 7% ने बड़ा मुद्दा माना है।

रिपोर्ट के अनुसार जब पूछा गया कि अगले पांच वर्षों में महाराष्ट्र के लिए कौन सा गठबंधन बेहतर होगा, तो एमवीए को महायुति सरकार पर बढ़त मिली है। सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस चुनाव में बेरो़गारी एक अहम फैक्टर हो सकती है। बेरो़गारी के बारे में चिंतित लोगों में से लगभग पांच में से तीन यानी 58% एमवीए के पक्ष में हैं, जबकि लगभग तीन में से एक यानी 31% महायुति का समर्थन करते हैं।

CSDS के सर्वे में यह बात पता चली है कि चार में से तीन मतदाता यानी 74% मानते हैं कि पिछले पांच वर्षों में महंगाई बढ़ी है और लगभग आधे यानी 51% मतदाताओं ने इस पांच साल के दौरान भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की बात कही है।

इस सर्वे में जब पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार की तुलना में शिंदे सरकार के तहत भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा है या घटा है, तो 10 में से सिर्फ़ एक यानी 11% उत्तरदाताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार के तहत भ्रष्टाचार में कमी आई है। पांच में से दो यानी कि 42% मतदाताओं का मानना ​​था कि महायुति सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं।

वहीं सरकारी स्कूल और कॉलेज के कंडीशन को लेकर 35% लोगों में महाविकास अघाड़ी पर भरोसा जताया, तो वहीं किसानों के मुद्दों को लेकर 31% लोगों का मानना था कि महाविकास एक बेहतर ऑप्शन है, जबकि 23% लोगों ने महायुति पर भरोसा जताया। किसानों के मामले में दोनों गठबंधनों का फर्क 8% का है, जो महाराष्ट्र चुनाव में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है।

इस सर्वे के मुताबिक 45% उत्तरदाताओं का मानना है कि राज्य का ओवरऑल विकास महाविकास अघाड़ी ने ज्यादा बढ़िया किया है और सोशल हार्मनी के मामले में 41% उत्तरदाता महाविकास अघाड़ी पर महायुति के मुकाबले ज्यादा भरोसा करते हैं। जब इस सर्वे में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि राज्य में ज्यादा स्थिर सरकार किसकी थी, तो इस सवाल पर भी महाविकास अघाड़ी महायुति से आगे है और 40% उत्तरदाताओं का मानना है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सरकार ज्यादा स्थिर थी।

1. **मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ को जस्टिस गवई ने याद दिलाई संवैधानिक पद की गरिमा**

अभी कुछ ही दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि उन्हें इस बात की फ़िक्र रहती है कि इतिहास उनके कार्यकाल को कैसे देखेगा, कैसे याद करेगा। दोस्तों, ये सवाल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिए है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, और उनके फैसले आने वाले समय के लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाले थे।

जस्टिस रमन गोगोई जब CJI बने तो उन्होंने कुछ फैसले सरकार के पक्ष में सुनाए, रफायल डील पर उन्होंने बीजेपी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद CJI गोगोई को रिटायरमेंट के 4 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट करके राज्य सभा भेज दिया गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस बने शरद अरविन्द बोबडे जिन्होंने शुरुआती दौर में ही इलेक्टोरल बांड्स की याचिका को ख़ारिज कर दिया था, रोहिंग्याओं पे फैसला सुनाते हुए कहा था कि उन्हें हैरानी होती है कि नॉन सिटीजन्स पर आर्टिकल 21 (Right to Life) लागू होता है। जस्टिस बोबडे बीजेपी नेता के बेटे की हार्ले डेविडसन बाइक चलाते हुए दिखे थे। इसके बाद CJI बने जस्टिस UU lalit जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के पहले अमित शाह को शोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस में रिप्रेजेंट कर चुके थे। DY चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनने के पहले 4 चीफ जस्टिसेस ने सुप्रीम कोर्ट का झुकाव सरकार की तरफ किया था और बहुत सारे फैसले इसी तर्ज़ पे दिए थे।

DY चंद्रचूड़ भी अब इसी राह पर चलते हुए दिख रहे हैं। चंद्रचूड़ ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक फसिलिटेशन सेरेमनी में बोलते हुए कहा कि "अयोध्या मामले के समाधान के लिए वो भगवान के सामने बैठे थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि इसका समाधान वो निकाले"। चंद्रचूड़ का बयान काफी विवादित माना जा रहा है और इस बयान के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल बहुत कठोर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अयोध्या राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद केस में फैसला क्या आस्था के आधार पर दिया गया था या तथ्यों के आधार पर?

जब अयोध्या केस में फैसला लिखा गया था, तो फैसले पर किसी जज का नाम नहीं लिखा गया था, यानी कि 5 जजों की बेंच में ये फैसला किसने लिखा था, ये नहीं बताया गया। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था कि कोई फैसला दिया गया था और जजमेंट पर किसी जज ने साइन नहीं किया। शायद ये फैसला आस्था के आधार पर दिया गया था, इसी लिए कोई भी जज इस फैसले का क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। अयोध्या केस का फैसला 5 जजों की बेंच ने किया था। इस बेंच में जस्टिस राजन गोगोई, शरद अरविन्द बोबडे, DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे।

रजन गोगोई को रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट करके राज्य सभा भेज दिया गया। जस्टिस बोबडे को महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पुणे का चांसलर बना दिया गया। जस्टिस अशोक भूषण को रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) का चेयरपर्सन बना दिया गया, इनकी नियुक्ति को कैबिनेट ने 2021 में मंजूरी दे दी थी। और जस्टिस अब्दुल नज़ीर को रिटायरमेंट के एक महीने बाद ही आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया था। 5 में से 4 जज रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी पद पर नियुक्त हो गए थे। अब जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर में 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। और ऐसा लगता है इनका रिटायरमेंट प्लान भी तैयार है और माईलार्ड भी राज्यसभा जाने या गवर्नर बनने की फिराक में लग गए हैं।

पिछले ही महीने में CJI चंद्रचूड़ अपने निवास पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ गणपति आरती करते हुए नजर आए थे, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे और CJI सवालों के घेरे में आ गए थे कि क्या अब माईलार्ड भी राज्य सभा जाने का सपना देख रहे हैं और इसकी तैयारी में जुट गए हैं? इस मामले में CJI की निष्पक्षता पर भी गहरे सवाल उठे थे।

जबसे DY चंद्रचूड़ CJI बने तबसे लगातार EVM द्वारा चुनाव में धांधली की खबरें आईं और इसके संबंध में बहुत सारी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गईं कि अगर EVM पर रोक नहीं होती है तो VVPAT और EVM के पर्चियों का 100% मिलान होना चाहिए। इन तमाम पिटीशंस को खारिज कर दिया गया और चुनाव आयोग की भूमिका पर जो सवाल लोकसभा चुनाव के दौरान उठे थे कि फॉर्म 17 C का डाटा शेयर नहीं किया जा रहा और वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने में देरी की जा रही थी और बाद में उस डाटा का बदलाव किया जा रहा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, इन याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पेगासस द्वारा विपक्ष के नेताओं की निगरानी की गई, इस पर भी सरकार की कोई जिम्मेदारी कोर्ट द्वारा तय नहीं की गई। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, उस पर भी कुछ फैसला नहीं आया। जम्मू और कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन कर उसे एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का समर्थन किया। ये कुछ ऐसे केस थे जहां माईलार्ड हस्तक्षेप कर सकते थे, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई ने CJI चंद्रचूड़ को अपने संवैधानिक पद के गरिमा की याद दिला दी। उन्होंने गुजरात के न्यायिक अधिकारियों के एक वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि "न्यायाधीश का आचरण, पीठ में रहते हुए और पीठ से बाहर, न्यायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अगर कोई न्यायाधीश पद पर रहने के दौरान और शिष्टाचार के दायरे से बाहर जाकर किसी भी नेता या नौकरशाह की तारीफ करता है, तो इससे न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है"। यानी कि जज चाहे कोर्ट में हो या कोर्ट के बाहर हो, पर उसका आचरण हमेशा न्याय करने का होना चाहिए।

1. **मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में बड़ी फुट**

महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हुए 4 दिन हो चुके हैं। इस चुनाव में महायुति गठबंधन को पुरज़ोर बहुमत मिला, पर अब मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। महायुति घटक दल बीजेपी और शिवसेना मुख्यमंत्री को लेकर आमने-सामने खड़ी हुई नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद महायुति में बड़ी दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यह सवाल बहुत दिलचस्प हो चुका है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीश में से कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनेगा? महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद के इस सियासी खींचतान के बीच यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के आलाकमान से बात करने के लिए देवेंद्र फडणवीश आज शाम दिल्ली आ सकते हैं।

चुनाव के नतीजों के बाद से ही एकनाथ शिंदे और शिवसेना यह लगातार कह रहे हैं कि चुनाव के पहले जो 'डील' ही थी, वो यह थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाएगा। और शिवसेना एकनाथ शिंदे को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है। देवेंद्र फडणवीश ने भले ही यह कह दिया है कि जो भी फैसला मोदी और अमित शाह लेंगे, उन्हें मंजूर होगा। पर पर्दे के पीछे महायुति के दोनों ही दल अपने-अपने समीकरण साधने में लगे हुए हैं। और बीजेपी ने शिवसेना के इस बात से साफ इंकार कर दिया है और कह दिया है कि ऐसी कोई 'डील' नहीं हुई है।

महाराष्ट्र में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लेकर महायुति के दल आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। शिवसेना चाहती है कि एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वहीं बीजेपी देवेंद्र फडणवीश को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है।

1. **बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया**

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता डॉक्टर केए पॉल ने पीआईएल दाखिल कर कहा था कि चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया जाए कि वह उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करे जिन्हें चुनाव के दौरान शराब बांटने और अन्य प्रलोभन देने का दोषी पाया जाता है। इस याचिका में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के अलावा चुनाव से संबंधित और कई दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो EVM सही रहती है, और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो EVM में गड़बड़ी की बात कही जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की और कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हारे तब उन्होंने भी EVM में गड़बड़ी की बात की, और इस बार जब जगन मोहन रेड्डी चुनाव हारे तो उन्होंने भी EVM में गड़बड़ी की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप चुनाव हारते हैं तब EVM पर सवाल खड़े करने लगते हैं, और जब जीत जाते हैं तो EVM में कोई गड़बड़ी नहीं होती।

यह याचिका किसी राजनीतिक दल द्वारा दाखिल नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अभी लॉस एंजेलेस पीस समिट से लौटे हैं, और साथ ही याचिकाकर्ता ने बताया कि 180 रिटायर्ड आईपीएस, आईएएस और रिटायर्ड जजों का समर्थन उन्हें इस याचिका के लिए प्राप्त है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने तीन लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिकाकर्ता से पूछा कि जब किसी राजनीतिक दल को इससे दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्या परेशानी है? जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि हर बड़े लोकतांत्रिक देशों में पेपर बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, और दुनिया के 155 से अधिक देशों में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि मंगलवार, 26 नवंबर को संविधान दिवस है, और ईवीएम से वोटिंग के कारण समानता, विचार अभिव्यक्ति और जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

1. **राहुल की नागरिकता रहेगी या होगी रद्द? राहुल की नागरिकता रहेगी या होगी रद्द? 19 दिसंबर को कोर्ट करेगा फैसला**

क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को देशनिकाला देने वाली है? यह सवाल इस लिए पूछा जा रहा है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी के नागरिकता पर फैसला लेने को कह दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन और भारत की दोहरी नागरिकता है, और इस याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता होने के कारण उनका भारतीय नागरिकता खत्म किया जाए। अब मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि वह इस राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने वाली याचिका पर जल्दी फैसला ले।

क्या गजब खेल है। एस विग्नेश शिशिर, जिस व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने वाली याचिका दाखिल की है, वह व्यक्ति एक भाजपा का कार्यकर्ता है और अब हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ही इस याचिका पर फैसला लेने को कहा है। तो आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस तरह का साजिश कर रही है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बीजेपी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला है और लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और उनके कॉर्पोरेट मित्र के बारे में सवाल उठाए हैं, ऐसा लग रहा है कि सेठ और साहब ने मिलकर राहुल गांधी को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है।

राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस प्रकार से देश में बढ़ी है और साहब की लोकप्रियता जिस प्रकार से लगातार घटती चली जा रही है, उससे बीजेपी खेमे में बौखलाहट मची हुई है। साहब की घटती लोकप्रियता का आलम यह है कि साहब को कई राज्यों के चुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि भाई मोदी के नाम पर तो अब कई राज्यों में चुनाव जीतना असंभव लग रहा है। लोक सभा चुनाव के दौरान साहब की घटती लोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण मिला था। साहब ने नारा तो 400 पार का दिया था, और इस नारे को हकीकत बनाने के लिए साहब ने खुद को नॉन-बायोलॉजिकल भी बता दिया था और कहा था कि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूँ, बल्कि मुझे तो भगवान ने भेजा है, फिर साहब ने लोक सभा चुनाव के दौरान कई बार भड़काऊ भाषण भी दिए कि क्या पता इसी से कुछ कर लोकप्रियता बढ़ जाए। पर जनता ने इस बात पर अपना फैसला सुना दिया और लोक सभा में साहब और भाजपा की करारी हार हुई। जो 400 पार का नारा था, 272 पर आकर रुक गया। साहब फिर प्रधानमंत्री तो बन गए, पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। अब दो वैशाखियों के सहारे साहब कब तक सत्ता में रह सकते हैं, यह बोलना मुश्किल है। अगर इन दो में से एक भी वैशाखी हटी, तो साहब का प्रधानमंत्री बने रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने समीकरण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बना लेते हैं, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे।

क्या बीजेपी इसी बात से पूरी तरह से बौखलाहट में है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है और जिस प्रकार से जनता का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, उससे साहब कहीं न कहीं डरे हुए हैं। और इसी डर के कारण पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी को ठिकाने लगाने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से लोक सभा चुनाव के ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और देश का भ्रमण किया, इस यात्रा में जितने लोग राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े, और इसका फायदा कांग्रेस को सीधे तौर पर लोक सभा चुनाव के दौरान हुआ।

तो क्या और बीजेपी के आला कमान राहुल गांधी को ठिकाने लगाने में जुट गए हैं? क्यों कि बीजेपी का कार्यकर्ता ने ही यह याचिका दाखिल की है और केंद्र की गृह मंत्रालय को ही यह फैसला देना है। तो ऐसे में अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हो कर राहुल गांधी को देश छोड़ने पर मजबूर कर रही है?

1. **महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव : DGP हटाने के मामले में फंसे राजीव कुमार**

महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी इन दोनों राज्यों में चुनाव जीतने की व्यवस्था करने में लग गई है। जो व्यवस्था हरियाणा में हुई थी, वैसी ही कुछ व्यवस्था झारखंड और महाराष्ट्र में होती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लग रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है और बीजेपी यह चुनाव किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की लोकप्रियता तो घटी ही, साथ में मोदी की गारंटी भी फेल हो गई। मोदी और शाह को तो हरियाणा चुनाव से संघ ने आउट भी कर दिया था और पूरी तरह से RSS के नेतृत्व में हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में जब अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर मोदी को बचाने की कोशिशों में लग गए हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने के संगीन आरोप लग रहे हैं।

दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं और इन दोनों राज्यों के DGP, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सवालों के घेरे में हैं। महाराष्ट्र की DGP रश्मि शुक्ला को हटाने के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और रश्मि शुक्ला को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था, "भारतीय चुनाव आयोग को तुरंत शुक्ला को बर्खास्त करना चाहिए ताकि ये चुनाव निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सकें"। नाना पटोले ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में "1988 बैच की आईपीएस अधिकारी शुक्ला को राज्य के डीजीपी के पद पर बने रहने और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने का मुद्दा उठाया था।

इसके जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह बात कही थी कि रश्मि शुक्ला की नियुक्ति कानून द्वारा स्थापित विधि से हुई है। उन्होंने कहा था कि रश्मि शुक्ला का अपॉइंटमेंट संघ लोक सेवा आयोग, यानी UPSC द्वारा हुआ है। फिर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया था और रश्मि शुक्ला को इस पद से हटाने से मना कर दिया था। विपक्ष ने जो आरोप रश्मि शुक्ला पर लगाए हैं, वे बेहद संगीन हैं। उन पर बीजेपी का साथ देने का आरोप है और विपक्ष ने नेताओं पर फर्जी मुकदमे चलाने, उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। जिस DGP पर पक्षपात का आरोप है, एक खास दल की मदद करने का आरोप है, चुनाव के समय जब ऐसे पुलिस अधिकारियों को नहीं हटाने का फैसला कर राजीव कुमार ने अब साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है।

वहीं, झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था और कहा था कि अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को शनिवार शाम 7 बजे तक का समय दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अनुराग गुप्ता को हटाने की मांग बीजेपी की तरफ से उठी थी और फिर चुनाव आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दे दिया। अनुराग गुप्ता को हटाने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि "पिछले चुनावों में इनके खिलाफ शिकायतों का इतिहास रहा है"।

दोनों राज्यों में चुनाव हैं और दोनों राज्यों के DGP के बारे में सवाल उठाए गए हैं। आप तो समझ ही रहे होंगे कि क्यों झारखंड में DGP को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया और महाराष्ट्र में क्यों DGP को हटाने से चुनाव आयोग ने मना कर दिया है।

दोस्तों, रश्मि शुक्ला 30 जून 2024 को रिटायर होने वाली थीं। हालांकि, उन्हें अवैध रूप से जनवरी 2026 तक सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है, जो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का सीधा उल्लंघन है, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य के डीजीपी का कार्यकाल दो साल या उनके रिटायरमेंट तक का होगा। नाना पटोले ने कहा कि इस गैरकानूनी एक्सटेंशन के अलावा, रश्मि शुक्ला का अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने का इतिहास रहा है, जो उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाता है।

कांग्रेस ने अपने पत्र में लिखा है कि "रश्मि शुक्ला ने बिना proper authorization के विपक्ष के नेताओं का फोन टैपिंग किया है और इस केस में शामिल अधिकारियों को गुमराह किया है। ‘उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बावजूद महाराष्ट्र में सरकार बदलने और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इन मामलों पर मिट्टी डाल दी गई।"

कांग्रेस ने इस पत्र में आगे लिखा है कि "डीजीपी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विपक्षी नेताओं को परेशान करने और धमकाने के लिए अपने पद का सक्रिय रूप से दुरुपयोग किया है, अक्सर झूठी जांच की है और उनके खिलाफ निराधार मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका की ईमानदारी और गैर-पक्षपाती प्रकृति से समझौता करते हुए बीजेपी के लिए एक राजनीतिक प्रचारक के रूप में काम किया है।"

रश्मि शुक्ला के ACB में DG रहने के दौरान इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए उन्हें थाने और एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर बुलाया है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग उन्हें डराने और धमकाने के लिए किया है।

1. **झारखंड चुनाव : नीतीश कुमार मारेंगे NDA से पलटी?**

आज चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी NDA ने सीटों के बंटवारे की घोषणा नहीं की है। NDA गठबंधन के सहयोगी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। पहले NDA के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी पार्टी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी, उसके बाद जीतन राम मांझी, जो कि अभी केंद्र में मंत्री हैं, ने घोषणा कर दी कि हिंदुस्तान अवाम पार्टी (HAM) झारखंड में NDA और बीजेपी से अलग चुनाव लड़ेगी। पर अब NDA के बड़े सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने झारखंड चुनाव में 11 सीटों पर दावा ठोंक दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड में NDA गठबंधन मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की मानें तो बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी JDU को दो सीटें देने की पेशकश की थी।

झारखंड जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष खीरू महतो ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। 11 सीटों की यह सूची नीतीश कुमार को सौंप दी जा चुकी है। खीरू महतो ने आगे इस मामले पर कहा कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

तो वहीं झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी (AJSUP) 9 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के साथ बातचीत चल रही है।

यानि कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए NDA में रहने का रास्ता मुश्किल कर दिया है, अगर झारखंड विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 11 सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या नीतीश कुमार भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरह अपनी राह को NDA से पूरी तरह से अलग कर लेंगे? नीतीश कुमार की पार्टी ने जब से झारखंड की 11 सीटों पर दावेदारी की है, तब से NDA की मुख्य पार्टी बीजेपी पूरी तरह से मुश्किल में पड़ गई है कि अगर कहीं नीतीश कुमार को झारखंड चुनाव में 11 सीटें नहीं मिलती हैं, तो कहीं नीतीश कुमार झारखंड के साथ-साथ बिहार और केंद्र सरकार से भी समर्थन वापस न ले लें और फिर वही खेला कर दें, जो उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ किया था।

1. **लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान? मुंबई में अंडरवर्ल्ड का क्या है इतिहास**

क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम होगा तमाम! देशभर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, बिश्नोई गैंग का दिल्ली में एनकाउंटर हुआ, पानीपत से एक शूटर अरेस्ट किया गया है, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने सुबह लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के अंतरराज्यीय शार्प शूटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले बिश्नोई गैंग के अब अंतिम दिन आने वाले हैं।

90 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे शहर अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से परेशान था। तब तक दाऊद इब्राहिम एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था, जब तब के बॉम्बे और और आज के मुंबई के सीने पर लगभग हर रोज गैंगवार या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे।

क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड दस्तक देने जा रहा है? 70 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड और डॉन की कहानी का आगाज हुआ था। जिसे खत्म करने में मुंबई पुलिस को तीन दशक से ज्यादा का वक्त लगा। क्या वो अंडरवर्ल्ड का दौर मुंबई में वापस लौटने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस और यहां तक कि एनआईए ने भी ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर फिलहाल मुंबई पर है।

**मुंबई में 500 से ज्यादा गैंगस्टर का एनकाउंटर**

इसी के तहत पहले एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन इन्हीं एनकाउंटर ने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां भी दी। एनकाउंटर के साथ-साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे-धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे-बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते-आते धीरे-धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी।

लेकिन एक बार फिर से मुंबई में दहशत फैलाने की कोशिश कौन करना चाह रहा है? महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा के दो दिन पहले NCP के नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे के कारणों का पता अभी नहीं चला है और पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है। गोदी मीडिया लगातार यह खबर नेशनल मीडिया पर दिखा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने गैंग को चलाता है, जेल से वीडियो कॉल कर लोगों से फिरौती मांगता है और धमकी देता है।

गोदी मीडिया ने इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से सफाई पेश की है। गोदी मीडिया ये सवाल आखिर क्यों नहीं पूछ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जेल के अंदर से अपना गैंग कैसे चला रहा है? वो जेल के अंदर के वीडियो कॉल कैसे करता है? और जेल के अंदर से लोगों को धमकी कैसे देता है? क्या इस मामले में जेल प्रशासन मिला हुआ है? जेल के अंदर से यह सब करना आखिर मुमकिन कैसे है? लॉरेंस बिश्नोई आखिर किस जेल में बंद है?

बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शुभम लोनकर नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट में इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम बताया। शुभम लोनकर इस केस का सह-साजिशकर्ता माना जा रहा है।

इसी साल सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और उनके घर के बाहर गोली चलने के केस में भी जून के महीने में शुभम लोनकर से पूछताछ की गई थी। शुभम लोनकर को जनवरी में महाराष्ट्र के अकोला जिले में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। एक अधिकारी ने बताया था कि पुलिस ने उस मामले में दस से ज़्यादा हथियार बरामद किए थे। पुलिस अधिकारी का यह भी कहना है कि शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के साथ संपर्क में भी था। शुभम लोनकर 24 सितम्बर तक पुलिस रडार पर था, पर 24 सितम्बर के बाद से पुलिस को उसका पता नहीं है।

लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस केस में आने के बाद मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत केंद्र सरकार से मांग रही है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले तीन साल से साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी देने और उसके घर के बाहर गोली चलाने के मामले में भी गृह मंत्रालय से पत्र लिखकर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की मांग की थी।

लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी तो मुंबई पुलिस को नहीं मिल पाई थी, क्योंकि गृह मंत्रालय का एक कानून आड़े आ रहा है। गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगे कानून आपराधिक षड्यंत्र संहिता 268 (1) को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत न तो कोई जांच एजेंसी लॉरेंस को हिरासत में ले सकती है, न ही साबरमती जेल से शिफ्ट कर सकती है। केंद्र सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद की और पुलिस द्वारा पूछताछ से उसे बचा लिया।

अभी हाल ही में कनाडा ने भारत सरकार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए थे। कनाडा की सरकार ने दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कनाडा में हत्या और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों को अंजाम देने के लिए किया गया था। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते अपराधों के बीच बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से निशाने पर हैं, लगातार उनको जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन फिर बिश्नोई की कस्टडी मुंबई पुलिस को नहीं मिल पा रही है। आखिर मुंबई में कानून व्यवस्था खत्म करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

दोस्तों, जब बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में दोषी की महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया तो देवेंद्र फडणवीस के बड़े-बड़े पोस्टर शहर में लगाए गए। इस पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस के हाथ में एक बंदूक पकड़ा हुआ दिखाया गया था। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री के हाथों में बंदूक पकड़े हुए पोस्टर्स से क्या मालूम पड़ता है? क्या मुंबई में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है? जब राज्य के पुलिसकर्मी और अधिकारी ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो अपराधियों का तो क्या है, कहिए।